



2026:AHC:49372

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 5499/2026

सदवृक्ष

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अंतिमा राजभर, हरि प्रकाश तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. , रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही, जो वाद संख्या 2025 की 13052 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202515510113052 (गाँव सभा बनाम सदवृक्ष)) के रूप में पंजीकृत थी, उसमें विपक्षी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील मऊनाथ भंजन, जिला मऊ द्वारा दिनांक 24.01.2026 को पारित बेदखली और हर्जाने का आदेश चुनौती के अधीन है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इससे पूर्व याचिकाकर्ता के विरुद्ध यू.पी. जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट, 1950 की धारा 122-बी के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें दिनांक 10.04.2021 को याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया था, लेकिन विपक्षी संख्या 3 द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि विपक्षी संख्या 3 के समक्ष सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं था, इसलिए विपक्षी संख्या 3 द्वारा आदेश सही ढंग से पारित किया गया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की उपधारा 5 में प्रदान किए गए अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक उपचार उपलब्ध है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 4 एवं 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना गया।
5. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी संख्या 6 से 11 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे व्यथित महसूस करते हैं, तो उन्हें 'रिकॉल' आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता है।
6. विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2026 के अवलोकन के बाद, न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट है कि आक्षेपित आदेश एक 'नॉन-स्पीकिंग' (बिना कारण बताया गया) आदेश है और इसे बिना विवेक का प्रयोग किए पारित किया गया है; विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2026 निरस्त किए जाने योग्य है।
7. जहाँ तक वैकल्पिक उपचार का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'वर्ल्डपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई व अन्य', (1998) 8 SCC 1 में यह माना है कि यदि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है, तो प्रभावित पक्ष सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:-
"15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय के पास मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका को स्वीकार करने या न करने का विवेक है। लेकिन उच्च न्यायालय ने खुद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से एक यह है कि यदि प्रभावी और प्रभावशाली उपचार उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय सामान्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन वैकल्पिक उपचार को इस न्यायालय द्वारा कम से कम तीन आकस्मिकताओं में बाधा के रूप में नहीं माना गया है, अर्थात्, जहाँ रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए दायर की गई है या जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या जहाँ आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस बिंदु पर मामले के कानूनों की भरमार है, लेकिन फॉरेंसिक व्हर्लपूल (न्यायिक चक्रव्यूह) के इस घेरे को कम करने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने निर्णयों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे आज भी प्रासंगिक हैं।"

8. मामले के इस पहलू को देखते हुए, चूंकि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया है, इसलिए विपक्षी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील मऊनाथ भंजन, जिला मऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2026 निरस्त किए जाने योग्य है और इसे रद्द कर दिया गया है।
9. विपक्षी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील मऊनाथ भंजन, जिला मऊ को निर्देशित किया जाता है कि यदि सलाह दी जाए, तो मामले में कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करें।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

मार्च 11, 2026

सकलेन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”